Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 158: Payment of tax and other amounts in instalments

- (1) On an application filed electronically by a taxable person, in **FORM GST DRC-20**, seeking extension of time for the payment of taxes or any amount due under the Act or for allowing payment of such taxes or amount in instalments in accordance with the provisions of section 80, the Commissioner shall call for a report from the jurisdictional officer about the financial ability of the taxable person to pay the said amount.
- (2) Upon consideration of the request of the taxable person and the report of the jurisdictional officer, the Commissioner may issue an order in FORM GST DRC-21 allowing the taxable person further time to make payment and/or to pay the amount in such monthly instalments, not exceeding twenty-four, as he may deem fit.
- (3) The facility referred to in sub-rule (2) shall not be allowed where-
 - (a) the taxable person has already defaulted on the payment of any amount under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017, for which the recovery process is on;
 - (b) the taxable person has not been allowed to make payment in instalments in the preceding financial year under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017:
 - (c) the amount for which instalment facility is sought is less than twenty-five thousand rupees.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 158 : किस्तों में कर और अन्य रकमों का संदाय

- (1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन शोध्य करों या किसी रकम के संदाय के लिए समयाविध के विस्तार की ईप्सा करते हुए या धारा 80 के उपबंधों के अनुसार किस्तों में ऐसे करों या रकम के संदाय को अनुज्ञात करने के लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी—20, में इलैक्ट्रानिकली आवेदन फाइल किए जाने पर, आयुक्त उक्त रकम का संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति की वित्तीय योग्यता के सम्बन्ध में, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी से रिपोर्ट की मांग करेगा।
- (2) कराधेय व्यक्ति की प्रार्थना और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, आयुक्त कराधेय व्यक्ति को संदाय करने के लिए अतिरिक्त समय और / या रकम का ऐसी मासिक किस्तों में, जो चौबीस से अनधिक हो, जैसा वह उपयुक्त समझे, संदाय अनुज्ञात करते हुए, प्ररूप जीएसटी डीआरसी—21 में एक आदेश जारी कर सकेगा।
- (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सुविधा, वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां-
 - (क) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी रकम का संदाय करने का पहले से व्यतिक्रमी है जिसके लिए वसूली प्रक्रिया चालू है;
 - (ख) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पूर्ववती वित्तीय वर्ष में किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है;
 - (ग) कोई रकम, जिसके लिए किस्त सुविधा की ईप्सा की गई है, पच्चीस हजार रूपयों से कम हैं।